



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



15 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 552 राँची, बुधवार,

6 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

23 अगस्त, 2023

संख्या-5/आरोप-1-126/2016-23694 (HRMS)--श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतना, साहेबगंज के विरुद्ध उपायुक्त, साहेबगंज के ज्ञापांक-2410, दिनांक 20.09.2016 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगान्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अनियमितता बरतने संबंधी कुल-14 आरोप प्रतिवेदित हैं ।

2- उक्त आरोपों पर श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, साहेबगंज से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-10157, दिनांक 25.09.2017 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-116, दिनांक 04.06.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है ।

3- विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-7626, दिनांक 12.10.2018 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-शून्य, दिनांक 29.01.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया ।

4-श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1694(HRMS), दिनांक 10.04.2019 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

5-उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर रिट याचिका-W.P.(S) No. 466/2020 में दिनांक 07.01.2021 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प सं०-1694(HRMS), दिनांक 10.04.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड को रद्द कर दिया गया।

6-उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No.89/2021 दायर की गई, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 24.01.2022 को पारित न्यायादेश में संबंधित मामले को अनुशासनिक प्राधिकार को वापस करते हुए उस पर नियमानुसार आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है।

7- LPA No. 89/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2022 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP(C) No.5840/2022 दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 18.04.2022 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है- "By the impugned judgment and order, the Division Bench of the High Court has remanded the matter to the Disciplinary Authority. It goes without saying that the Disciplinary Authority shall pass fresh order after following the due procedure as required under law and after following the principle of natural justice. The Special Leave Petition stands dismissed."

8- संबंधित मामले में पारित न्यायादेशों एवं विद्वान महाधिवक्ता के मंतव्य/परामर्श के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की पुनः समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि जाँच प्रतिवेदन में निम्न बिन्दुओं की उपेक्षा की गई है-

(i) श्री कुमार के विरुद्ध लगाये गये आरोप काफी गंभीर है।

(ii) आरोप सं०-1 से 5, मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर गठित है।

(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित मूल बचाव बयान को उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-2071, दिनांक 08.06.2017 द्वारा प्रेषित मंतव्य में स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया है, हालांकि बाद के पत्रांक-1565, दिनांक 19.05.2018 द्वारा प्रेषित मंतव्य में इसे स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है, किन्तु इस पत्रांक से प्रेषित मंतव्य में यह तथ्य कि मनरेगा आयुक्त के समर्पित प्रतिवेदन में अनियमितताओं में श्री कुमार की संलिप्तता प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है।

(iv) विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में मशीन से कार्य कराये जाने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध न होने के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि जाँच पदाधिकारी द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि यदि वास्तविक रूप से कार्य मजदूरों के द्वारा किया गया होता तो विभिन्न FTO से निर्गत राशि के भुगतान पर रोक लगाये जाने पर किसी न किसी मजदूर द्वारा मजदूरी भुगतान लंबित रहने के संबंध में शिकायत की गई होती, किन्तु ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं है।

(v) उपरोक्त आरोप से संबंधित 05 योजनाओं का कार्यान्वयन प्रखण्ड मुख्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर किया जा रहा था। ऐसे में विभागीय जाँच पदाधिकारी का मतव्य कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा एक-एक डोभा का स्थल निरीक्षण व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त 05 योजनाओं में किसी भी योजना की स्थल की जाँच न करने के वे दोषी हैं एवं इस बिन्दु पर संचालन पदाधिकारी के मतव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हुआ जा सकता है।

(vi) आरोप से संबंधित सभी 05 योजनाओं की जाँच मनरेगा आयुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में की गयी है एवं उक्त जाँच के उपरांत आरोपी पदाधिकारी द्वारा निर्गत पत्रांक-556/वि०, 557/वि० एवं 558/वि०, दिनांक 18.06.2016 में योजना स्थल के चयन में अनियमितता, मशीन से कार्य कराने का साक्ष्य एवं योजना स्थल पर किये गये कार्य एवं मापी पुस्तिका में दर्ज मापी में भिन्नता संबंधी तथ्य स्वीकार किया गया है। किन्तु बाद में विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष आरोपी पदाधिकारी का कथन कि सभी बातें मनरेगा आयुक्त के मौखिक आदेश के आलोक में लिखी गई हैं, स्वीकार योग्य नहीं है।

(vii) कुंवर हेम्ब्रम एवं चरण टुडू के भूमि पर तालाब निर्माण में आरोपी पदाधिकारी की डिजिटल सिगनेचर से निर्गत FTO की राशि निरीक्षण की तिथि में पाये गये कार्य से भिन्न एवं अधिक है।

(viii) विभागीय जाँच पदाधिकारी का यह मतव्य कि पूर्व में उप विकास आयुक्त, पतना प्रखण्ड के वरीय प्रभार में थे एवं उनके द्वारा कभी भी आरोपी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई, के आधार पर आरोपी पदाधिकारी की गलती को नजरअंदाज किया जाना स्वीकार योग्य नहीं है।

(ix) स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(ii) के प्रतिकूल है।

9- उपर्युक्त अंकित बिन्दुओं के समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड पर महाधिवक्ता के परामर्श के अनुरूप पुनः नये सिरे से द्वितीय कारण पृच्छा का निर्णय लिया गया है तथा विभागीय पत्रांक-7552, दिनांक 30.11.2022 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

10- श्री कुमार के पत्र, दिनांक 03.04.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित तथ्य निम्नवत् हैं-

(i) विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में विस्तृत जाँच की गयी है, जिसमें सभी आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं ।

(ii) विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या-1 से 5 पर कुल 6 बिन्दु, जो कि (क) से (च) में विस्तृत रूप से अपना मंतव्य दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनरेगा आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वर्णित पांच डोभों में कृत कार्य की गणना किस आधार पर की गई। डोभा की लम्बाई एवं चौड़ाई का जिक्र भी जाँच प्रतिवेदन में नहीं है। उपायुक्त साहेबगंज के द्वारा भी अपने मंतव्य दिनांक 19.05.2018 में मनरेगा आयुक्त के द्वारा लगाये गये आरोपों को स्पष्ट रूप से गलत एवं निराधार कहा है ।

(iii) उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-2071, दिनांक 08.06.2017 आरोप पत्र के निर्गत के पूर्व का दस्तावेज है। उपायुक्त साहेबगंज के पत्रांक-2071, दिनांक 08.06.2017 न तो आरोप पत्र में वर्णित है और ना ही विभागीय कार्यवाही के दौरान यह प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त साहेबगंज के पत्रांक-2071, दिनांक 08.06.2017 एक Foreign Document है, जिसे द्वितीय कारण पृच्छा के दौरान संज्ञान में लिया जाना गलत एवं विद्वान महाधिवक्ता के मंतव्य के प्रतिकूल है। साथ ही साथ उपायुक्त साहेबगंज के पत्रांक-1565, दिनांक 19.05.2018 के मंतव्य से असहमति प्रकट करने का कोई कारण एवं आधार वर्णित नहीं किया गया है ।

(iv) विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य (जाँच एवं निष्कर्ष) के पारा-क एवं ग में इसे विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। द्वितीय कारण पृच्छा में विभागीय जाँच पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच एवं निष्कर्ष में स्पष्ट किया है कि आरोप पत्र के साथ अथवा बाद में सुनवाई के दौरान भी ऐसा कोई साक्ष्य यथा फोटोग्राफ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि पतना प्रखण्ड के विशनपुर पंचायत के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रियान्वित डोभा के निर्माण में मशीन का प्रयोग किया गया। मनरेगा आयुक्त के निरीक्षण प्रतिवेदन में भी कोई ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि निरीक्षण के समय संबंधित योजना स्थल के निकट कोई मशीन मौजूद था। साथ ही मनरेगा आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन में मस्टर रॉल में अंकित मजदूरों के नाम, उनके द्वारा किये कार्य अथवा उनके जॉब कार्ड में की गई प्रविष्टि की जांच करने का कोई उल्लेख नहीं है। आरोप पत्र के साथ अथवा सुनवाई के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया कि अभिलेख में संलग्न मस्टर रॉल को फर्जी सिद्ध किया जा सके, जिससे स्पष्ट है कि विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा ठोस साक्ष्य के अभाव में मशीन से संबंधित डोभा के कार्य कराये जाने का आरोप को प्रमाणित मानना कठिन प्रतीत होता है, कहा गया है। साथ ही अभिलेख में संलग्न मस्टर रॉल को पूर्णतः या अंशत फर्जी प्रमाणित करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है, बताया गया है ।

(v) आरोप पत्र के 1 से 5 आरोपों में यह कहीं वर्णित नहीं है कि उक्त 5 योजनाओं में किसी भी योजना की स्थल की जाँच न करने के वे दोषी है। संचालन पदाधिकारी के किस मंतव्य से

असहमति व्यक्त की गयी है, इसका उल्लेख नहीं है। साथ ही असहमति व्यक्त करने का कारण/आधार स्पष्ट नहीं किया गया है तथा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह आरोप विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य के पारा-ख में वर्णित योजना स्थल के उपयुक्तता के आरोप से संबंधित है, जिसमें जाँच पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मेरा यह मानना है कि चूंकि आरोपी के द्वारा पंचायत प्लानिंग टीम के द्वारा चयनित एवं पंचायत कार्यकारिणी के द्वारा पारित योजना की ही स्वीकृति दी गई, अतः उनके द्वारा योजनाओं की स्वीकृति देने में अपने स्तर से कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। चूंकि डोभा निर्माण का कार्य प्रखण्ड में काफी बड़े पैमाने पर लिया जाता है, अतः किसी भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लिये यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं प्रतीत होता है कि उनके द्वारा एक-एक डोभा का स्थल निरीक्षण कर स्वीकृति दी जाय। पंचायत प्लानिंग टीम के द्वारा चयनित एवं पंचायत कार्यकारिणी के द्वारा पारित योजना पर आपत्ति करना भी एक विवाद का मुद्दा बन सकता है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध अनुपयुक्त योजना स्थल के चयन का आरोप सही नहीं प्रतीत होता है।

(vi) विभागीय जाँच पदाधिकारी के आरोप संख्या 1 से 5 के (क) (ख) एवं आरोप सं० 7 के निष्कर्ष में इसे विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। आरोप सं० 1 (क) के संदर्भ में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा अंकित जाँच एवं निष्कर्ष में इस आरोप के संबंध में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि साक्ष्य के अभाव में जे०सी०बी० मशीन से कार्य कराये जाने के आरोप को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। आरोप सं० 1 (ख) के निष्कर्ष में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लिये यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं प्रतीत होता है कि उनके द्वारा एक-एक डोभा का स्थल निरीक्षण कर स्वीकृति दी जाय। मनरेगा आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि वर्णित पाँच डोभों में कृत कार्य की गणना किस आधार पर की गई। डोभा की लम्बाई एवं चौड़ाई का जिक्र भी जाँच प्रतिवेदन में नहीं है। ऐसी स्थिति में जाँच प्रतिवेदन में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि को सही एवं प्रामाणिक मानना उचित नहीं प्रतीत होता है। पुनः आरोप सं० 7 के निष्कर्ष में यह स्पष्ट किया गया है कि आरोपी के पत्रांक 556/वि० 557/वि०, दिनांक 18.06.2016 तथा उप विकास आयुक्त, साहेबगंज को सम्बोधित पत्र दिनांक 04.07.2016 के आलोक में यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता है कि आरोपी के द्वारा उनके पत्र में स्वयं यह स्वीकार किया गया कि डोभा का कार्य मशीन के द्वारा कराया गया है।

(vii) विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या 1 से 5 पर कुल 6 बिन्दु जो कि (क) से (च) में विस्तृत रूप से मंतव्य दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि इनके विरुद्ध लगाये गये आरोप गलत एवं निराधार है। साथ ही यह भी कहना है कि अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से बिना असहमति प्रकट किये एवं बिना किसी आधार या साक्ष्य का आरोप लगाया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य के पारा ग में इसे विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। जाँच पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरोप के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपी के द्वारा उनके डिजिटल सिगनेचर से सिर्फ दो FTO

निर्गत किये गये हैं। उक्त दोनों FTO दो योजनाएँ कुंवर हेम्ब्रम की जमीन में तालाब निर्माण एवं चरण टुड़ की जमीन में तालाब निर्माण के संदर्भ में किये गये प्रथम FTO हैं। उक्त दोनों FTO कनीय अभियंता के द्वारा प्रस्तुत मापी एवं पंचायत सेवक तथा मुखिया द्वारा पारित मस्टर रॉल के आलोक में निर्गत किया गया है। शेष अन्य FTO पंचायत सेवक एवं मुखिया के द्वारा निर्गत किये गये हैं। कुंवर हेम्ब्रम की जमीन में तालाब निर्माण योजना में प्रथम मापी कनीय अभियंता के द्वारा कुल 106428/- ₹0 का है, जो पंचायत सेवक एवं मुखिया द्वारा पारित है। जिसके आधार पर प्रथम भुगतान कुल 106428/- दिनांक 20.05.2016 को श्री कुमार तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं नाजीर श्री जितेन्द्र प्रीतम के डिजीटल सिगनेचर से राशि का भुगतान हुआ है, जो अभिलेख में संलग्न है तथा पंचायत सेवक एवं मुखिया द्वारा पारित है। शेष अन्य FTO पंचायत सेवक एवं मुखिया के द्वारा निर्गत किये गये हैं। चरण टुड़ की जमीन में तालाब निर्माण योजना में आदेश फलक के अनुसार प्रथम मापी कनीय अभियंता के द्वारा कुल 57222/- ₹0 दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर प्रथम भुगतान कुल 56112/- किया गया है, जो अभिलेख में पंचायत सेवक एवं मुखिया द्वारा पारित है, जिसके आधार पर प्रथम भुगतान कुल 56112/- दिनांक 20.05.2016 को श्री कुमार तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं नाजीर श्री जितेन्द्र प्रीतम के डिजीटल सिगनेचर से राशि का भुगतान हुआ है, जो अभिलेख में संलग्न है तथा पंचायत सेवक तथा मुखिया के द्वारा निर्गत किए गए हैं। चूँकि उक्त दोनों योजना पंचायत स्तर से क्रियान्वित की जाने वाली योजना हैं एवं विपत्रों को पंचायत सेवक एवं मुखिया के द्वारा पारित किया जा चुका था, इसलिए आरोपी के द्वारा एफ०टी०ओ० की ऑनलाईन स्वीकृति दी गई ।

(viii) विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या 8 पर विस्तृत रूप से मंतव्य दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि इनके विरुद्ध लगाये गये आरोप गलत एवं निराधार हैं। उपायुक्त, साहेबगंज के द्वारा प्रेषित पूरक मंतव्य में यह कहा गया है कि श्री कुमार का यह कथन सही है कि तत्कालीन उप विकास आयुक्त जनवरी 2015 से 02 मार्च 2016 तक पतना प्रखण्ड के वरीय प्रभार में थे। उपायुक्त के निदेशानुसार वरीय पदाधिकारी को पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की निरीक्षण करना था एवं कोई शिकायत एवं अनियमितता मिलने पर संबंधित के विरुद्ध स्पष्ट कार्रवाई हेतु प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया था, किन्तु उक्त अवधि में तथा इसके पश्चात् भी वरीय पदाधिकारी के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आरोप अथवा प्रतिकूल टिप्पणी प्रेषित नहीं की गई है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच एवं निष्कर्ष में स्पष्ट किया है कि यह सम्भव है कि वरीय पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह प्रखण्ड के भ्रमण एवं मनरेगा योजनाओं की जांच के क्रम में शिकायतों से संबंधित अभिलेख आरोपी के द्वारा वरीय पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराये गये हो। इसलिये उन अभिलेखों को निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज से प्राप्त पत्रों के क्रम में भेजना आवश्यक नहीं समझा गया हो। यदि प्रश्नगत अभिलेख वरीय पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाते तो उनके द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी अवश्य की जाती। उपायुक्त, साहेबगंज के द्वारा प्रस्तुत पूरक मंतव्य के आलोक में यह आरोप सही प्रतीत नहीं होता है ।

(ix) यह आरोप 14 आरोपों में कहीं वर्णित नहीं है। यह आरोप संभावना एवं द्वितीय कारण पृच्छा के माध्यम से लगाया गया है, जिसके संबंध में कोई भी साक्ष्य एवं तथ्य उपलब्ध नहीं है। इनके

विरुद्ध लगाये गये कुल 14 आरोप विभागीय जाँच के दौरान प्रमाणित नहीं पाये गये हैं। साथ ही साथ यह भी कहना है कि उपायुक्त, साहेबगंज के मंतव्य दिनांक 19.05.2018 में स्पष्ट किया गया है कि श्री कुमार के द्वारा प्रस्तुत बचाव बयान स्वीकारात्मक है तथा मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताओं में आरोपी श्री कुमार की संलिप्तता प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होती है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन की गहन विश्लेषण से स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा इनके विरुद्ध प्रतिवेदित सभी 14 आरोपों को सही नहीं प्रतीत होता है/अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

11- श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में प्रतिवेदित है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य बताया गया है एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उनके विरुद्ध एक भी आरोप प्रमाणित नहीं किया गया है। द्वितीय कारण पृच्छा में विभागीय जाँच पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। संचालन पदाधिकारी ने अपने निष्कर्ष में स्पष्ट किया है कि आरोप पत्र के साथ अथवा बाद में सुनवाई के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रश्नगत योजना में मशीन से कार्य हुआ है। फर्जी मस्टर रॉल को प्रमाणित करने हेतु भी कोई साक्ष्य नहीं है। उनके डिजिटल सिगनेचर से मात्र दो FTO निर्गत किये गये हैं। उक्त दोनों FTO कनीय अभियंता के मापी पुस्त एवं मुखिया द्वारा पारित मस्टर रॉल के आधार पर निर्गत है।

12-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध 14 आरोपों में एक भी आरोप प्रमाणित नहीं किया गया है, परन्तु आरोपी को अपने पर्यवेक्षकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने का दोषी माना है। संबंधित योजनाओं में जाँचोपरांत संबंधित कनीय अभियंता द्वारा 3.00 लाख एवं रोजगार सेवक द्वारा 90 हजार रुपया तथा आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार द्वारा 97,460/- रुपये जमा किया गया है। हालांकि श्री कुमार द्वारा राशि जमा किये जाने से इंकार किया गया है। प्रश्नगत योजनाओं में संबंधित कर्मियों द्वारा राशि जमा किये जाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आरोप से संबंधित योजनाओं में अनियमितता हुई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतना साहेबगंज द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध पूर्व में प्रस्तावित दण्ड संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड को संशोधित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MUKESH KUMAR 110021165719	श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतना साहेबगंज के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
